

भारत में वचाराधीन कैदी मताधिकार से वंचति

प्रलिमिंस के लयि:

लोकसभा चुनाव, मताधिकार, लोक प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951, मौलकि अधिकार, भारत का नरिवाचन आयोग

मेन्स के लयि:

भारत में वचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचति रखने के कानून, वचाराधीन कैदियों का मताधिकार, लोक प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951

[स्रोत: द हद्दि](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में चल रहे 18वीं लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर, देश भर की जेलों में बंद चार लाख से अधिक वचाराधीन कैदी व्यापक कानूनी प्रतबिंध के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ हैं।

- लोक प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951 (Representation of People Act, 1951- RPA) जेल में बंद व्यक्तियों के लयि मतदान पर प्रतबिंध लगाता है, भले ही वे दोषी ठहराए गए हों या मुकदमे की प्रतीक्षा में हों।

नोट:

- वचाराधीन कैदी वह व्यक्ती होता है जिस पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा होता है या जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए रिमांड में कैद होता है या वह व्यक्ती जिस पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा होता है।
 - वधि आयोग की 78वीं रिपोर्ट में 'वचाराधीन कैदी' की परिभाषा में उस व्यक्ती को भी शामिल किया गया है जो जाँच के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में होता है।
- भारत में अपराध, 2022 रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कलिंगभग 500,000 से अधिक व्यक्ती, अपने कारावास के कारण वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे।
 - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत की जेलों में 4,34,302 वचाराधीन कैदी थे, जो जेल में बंद कुल कैदियों की संख्या 5,73,220 का 76% थे।

वचाराधीन कैदियों को मतदान से रोका क्यो जाता है?

- लोक प्रतनिधितिव अधनियिम की धारा 62(5):
 - कारावास या नरिवासन की सजा के तहत या पुलिस की वैध अभिरक्षा में जेल में बंद किसी व्यक्ती को किसी भी चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - मतदान से प्रतबिंधति होने के बावजूद, जिस व्यक्ती का नाम मतदाता सूची में है, वह मतदान करेगा।
 - मतदान पर प्रतबिंध किसी मौजूदा कानून के तहत नरिवाक नरिधि में रखे गए व्यक्ती पर लागू नहीं होता है।
 - इस प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, जिसमें संसाधनों की कमी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी परदृश्य से दूर रखने की आवश्यकता जैसे कारणों का उल्लेख किया गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनावों को संवधान की 'आधारभूत संरचना' के भाग के रूप में मान्यता देता है, लेकिन यह मतदान के अधिकार (अनुच्छेद 326) और नरिवाचति होने को मौलिक अधिकारों के बजाय वैधानिक अधिकार में अंतर स्पष्ट करता है, जो लोक प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951 जैसे कानूनों द्वारा लगाए गए नयिमों के अधीन है।
 - भारतीय संवधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। इसके अनुसार, 18 वर्ष से अधिक की आयु

वाले प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जब तक कि उसे अनवासी, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए।

- दोषसिद्धि के बाद ही चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध:
 - RPA, 1951 की धारा 8 किसी व्यक्ति को केवल कुछ अपराधों के लिये दोषी ठहराए जाने पर ही चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है, न कि केवल आरोप लगाए जाने पर।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक आरोपों वाले या झूठे शपथ-पत्र दाखिल करने वालों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारजि कर दी है, जिसमें कहा गया है कि केवल वधायिका ही RPA, 1951 में परिवर्तन कर सकती है।
 - अयोग्यता के अपवाद:
 - भारत नरिवाचन आयोग कुछ परस्थितियों में अयोग्यता की अवधि को परिवर्तित कर सकता है।
 - एक अयोग्य सांसद या वधायक तब भी चुनाव लड़ सकता है यदि उच्च न्यायालय में अपील पर उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है।

कैदियों को मताधिकार से वंचित करने की ऐतहासिक पृष्ठभूमि:

- अंग्रेज़ी ज़बती अधिनियम, 1870: इसने राजद्रोह या गुंडागर्दी के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर दिया।
 - इसके पीछे तर्क यह था कि एक बार जब किसी को ऐसे गंभीर अपराधों के लिये दोषी ठहराया जाता है, तो वह मताधिकार सहित अपने अन्य अधिकारों से भी वंचित हो जाता है।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935: परविहन, दंडात्मक दासता या कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्तियों को मतदान करने से रोक दिया गया था।
 - हालाँकि, RPA, 1951 ने इस तरह की मताधिकार से वंचिता को परभाषित करने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। इसमें नरिदषित कथिया गया है कि जेल में बंद व्यक्ति, कारावास या आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं या अनयथावधिपूरण पुलसि अभरिक्षा (कस्टडी) में नरिोधति हैं, मतदान के लिये अयोग्य हैं। यह प्रावधान केवल नवारिक हरिसत में रखे गए लोगों को नषिकाषति करता है।

क्या वचाराधीन कैदियों के पास मताधिकार होना चाहयि?

वचाराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने के पक्ष में तर्क	वचाराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने के वषिकष में तर्क
<ul style="list-style-type: none"> ■ नरिदषता की धारणा: अपराध सिद्ध होने तक वचाराधीन कैदियों को नरिदष माना जाता है। उन्हें मताधिकार से वंचित करने को दोषसिद्धि से दंडात्मक काररवाई के रूप में देखा जा सकता है। <ul style="list-style-type: none"> ○ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति केवल हरिसत की स्थिति के आधार पर मताधिकार से वंचित करने को नरिदषता की धारणा का उल्लंघन मानती है। ○ सर्वोच्च न्यायालय ने वचाराधीन कैदियों को वोट देने से रोकना उन्हें दो बार सज़ा देने के समान माना। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: वचाराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने से मतदाताओं को डराने-धमकाने या चुनावी हस्तक्षेप से संबंधित चिंताएँ बढ़ सकती हैं, वषिषकर गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में।
<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रतनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी: वचाराधीन कैदियों को मतदान करने की अनुमति यह सुनिश्चित करती है कि उनके हितों और दृष्टिकोणों का राजनीतिक प्रक्रिया में प्रतनिधित्व कथिया जाता है, जिसमें जेल की स्थिति एवं आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाली नीतयिं भी शामिल हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ तारकिक चुनौतयिं: जेल के वातावरण में वचाराधीन कैदियों के लिये मतदान की सुवधि चुनाव अधिकारयिं के लिये तारकिक और प्रशासनिक चुनौतयिं उत्पन्न कर सकती है, जैसे मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करना और प्रपीडन को रोकना।
<ul style="list-style-type: none"> ■ कैदयिं ने सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन कथिया है और स्वच्छा से स्वयं को सामाजिक व्यवस्था से दूर रखा है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ सामाजिक व्यवस्था पर समझौता नही कथिया जा सकता।
<ul style="list-style-type: none"> ■ मताधिकार से वंचित चिंताएँ: वचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने के रूप में देखा जा सकता है, वषिष रूप से हाशयि पर रहने वाले समूहों के लिये, जनिहें परीक्षण-पूर्व हरिसत में असमान रूप से प्रतनिधित्व कथिया जा सकता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ नरिध की अस्थायी प्रकृति: वचाराधीन कैदी अस्थायी हरिसत की स्थिति में हैं और मतदान के अधिकार संभावित रूप से बरी होने या सज़ा पूरण होने पर बहाल कथिया जा सकते हैं।
<ul style="list-style-type: none"> ■ मताधिकार: आलोचकों का तर्क है कि वचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करना भेदभावपूरण है और समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन है। <ul style="list-style-type: none"> ○ दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और कनाडा जैसे देशों के वषिरीत, प्रतबिंध में अपराध की प्रकृति या सज़ा की अवधि के आधार पर उचित वर्गीकरण का अभाव है। ■ इसके अतरिकित, वचाराधीन कैदियों को मतदान करने की अनुमति देने से ज़मानत पर छूटे दोषयिं, जो मतदान कर सकते हैं और उन वचाराधीन कैदयिं, जो मतदान नहीं कर सकते हैं, के बीच अंतर उत्पन्न होता है, जिससे अतारकिक भेदभाव होता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ सज़ा और नवारण: कुछ लोगों का तर्क है कि मतदान सहित अधिकारों की हनन, आपराधिक कार्यवाही में शामिल होने के परिणामस्वरूप होती है और आपराधिक व्यवहार के वरिद्ध नवारिक के रूप में कार्य कर सकती है।

भारत में मतदान के अधिकार के संबंध में कानूनी पूर्वाधिकार:

- इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला, 1975: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और नष्पिकष चुनाव भारत के संविधान की 'बुनियादी संरचना' का एक हिस्सा है और ऐसा कोई भी कानून या नीति जो इस सिद्धांत का उल्लंघन करेगी, उसे रद्द किया जा सकता है।
- प्रवीण कुमार चौधरी बनाम चुनाव आयोग और अन्य मामले: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान का अधिकार न तो संवैधानिक है और न ही मौलिक, बल्कि यह केवल वैधानिक अधिकार है।
 - न्यायालय ने धारा 62 (5) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए पुष्ट की है कि **कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं है।**
- पीपुल्स यूनिन ऑफ सविलि लबिर्टीज़ (PUCL) बनाम यूनिन ऑफ इंडिया केस, 2003: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मतदान का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रदान किया गया एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
 - मतपत्र के माध्यम से चुनाव करने का अधिकार वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 19(1) (a) के तहत **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** का एक भाग है।
- अनुकूल चंद्र प्रधान, अधिवक्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला, 1997: न्यायालय ने RPA की धारा 62(5) की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो कैदियों को मताधिकार से वंचित करती है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने **तीन मुख्य औचित्यों का हवाला दिया**:
 - कैदी अपने आचरण के कारण कुछ स्वतंत्रताएँ खो देते हैं।
 - कैदियों के मतदान के लिये बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण तार्किक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
 - आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना।

आगे की राह

- जैसे-जैसे चुनावी प्रणालियाँ बदलती हैं और **समावेशिता बढ़ती है** जैसे-जैसे जेल में बंद कैदियों के बीच राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये वैकल्पिक रणनीतियाँ, जैसे **मोबाइल वोटिंग इकाइयाँ या अनुपस्थिति मतपत्र (Absentee Ballots)**, को ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- कैदियों के लिये मतदान के अधिकार के महत्त्व एवं पुनर्वास तथा पुनः एकीकरण के लक्ष्य को देखते हुए **कैदियों को अत्यधिक हाशिये पर धकेलने के बजाय नरिणय लेने की प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से भाग लेने के अवसर देने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।**
- मतदान के अधिकार के संदर्भ में दोषी ठहराए गए कैदियों और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों के बीच अंतर किया जाना चाहिये।
- भारतीय संविधान में मतदान को एक **मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty-FD)** बनाने और बदले में मतदान को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिये **स्वर्ण सहि समिति, 1976** की सफारिश को शामिल किया जाना चाहिये।

?????? ???? ?????:

प्रश्न. भारत में कैदियों को मताधिकार से वंचित करने के कानूनों के ऐतिहासिक संदर्भ और विकास की जाँच करें। इन कानूनों ने वचाराधीन कैदियों और दोषियों की लोकतांत्रिक भागीदारी को कैसे प्रभावित किया है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न: भारत के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजय: (2021)

1. जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।
2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिये राज्य सरकारों के अपने नयिम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

